# FROM No.III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

मेनाराम वगैरा बनाम कुलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० वाद 88,188 Rt Act नं. 204 सन 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.12.19 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेतनाराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188 Rt Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 7/01/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 07/01/2020 | वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, प्रतिवादी संख्या-2 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में pw-1 व pw-2 के शपथ-पत्र तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में Dw-1 का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर [illegible] (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | अति कुलाराम<br>कुलाराम<br>ला. का. गा. |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested

किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

21.7.2020 वादी वकील उप०। वादी वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151, 152 CPC मय पत्रावली तलब करने का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त वाद के निर्णय लिखते समय शाखा प्रबंधक SBI कवास को प्रतिवादी सं 2 नहीं बताया गया है। जबकि वाद में शाखा प्रबंधक प्रतिवादी सं 2 दर्ज है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर संशोधित निर्णय व डिक्री पर्चा जारी किया जावें।

अतः वादी वकील के निवेदन पर वादी वकील द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित निर्णय व डिक्री पर्चा अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
21.7.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested

लय उ
वादीगण
1. नेनाराम पुत्र बुल
2. बांकाराम

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S. )

राजस्व वाद संख्या– 204/2019

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. नेनाराम पुत्र बुलाराम<br>2. बांकाराम पुत्र बुलाराम<br>3. शोभाराम पुत्र बुलाराम<br>4. सांगाराम पुत्र बुलाराम<br>जातियान्–कुम्हार,<br>निवासीयान्–धतरवालों का सरा,<br>छीतर का पार, तहसील–बायतु,<br>जिला–बाड़मेर | | 1. बुलाराम पुत्र टीकूराम<br>जाति–कुम्हार, निवासी–धतरवालों<br>का सरा, छीतर का पार,<br>तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर<br>2. शाखा प्रबंधक एसबीआई कवास |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील प्रतिवादी

–: संशोधित निर्णय :– दिनांक 21/7/2020

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा धतरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 426/34 रकबा 44.17 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज टीकूराम के वंशज है तथा प्रतिवादी वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा

सहायक कलक्टर बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदो को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा टीकूराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण टीकूराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा धतरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 426/34 रकबा 44.17 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन दर्ज रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 21/7/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) 21.7.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested

**संशोधित अन्तिम डिक्री**

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

**वादीगण** **बनाम** **प्रतिवादी**

1. नेनाराम पुत्र बुलाराम
2. बांकाराम पुत्र बुलाराम
3. शोभाराम पुत्र बुलाराम
4. सांगाराम पुत्र बुलाराम
   जातियान्–कुम्हार,
   निवासीयान्–धतरवालों का सरा,
   छीतर का पार, तहसील–बायतु,
   जिला–बाड़मेर

1. बुलाराम पुत्र टीकूराम
   जाति–कुम्हार, निवासी–धतरवालों
   का सरा, छीतर का पार,
   तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
2. शाखा प्रबंधक एसबीआई कवास

**दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

राजस्व वाद संख्या–204/19. **निर्णय दिनांक** :– 21/7/2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/7/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा धतरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 426/34 रकबा 44.17 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर बायतु

21.7.2020

**(विवेक व्यास)**
**सहायक कलक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी, बायतु**

**वाद के खर्चे**

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4. ........... रुपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

**(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S. )**

राजस्व वाद संख्या– 204/2019

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. नेनाराम पुत्र बुलाराम<br>2. बांकाराम पुत्र बुलाराम<br>3. शोभाराम पुत्र बुलाराम<br>4. सांगाराम पुत्र बुलाराम<br>जातियान्–कुम्हार,<br>निवासीयान्–धतरवालों का सरा,<br>छीतर का पार, तहसील–बायतु,<br>जिला–बाड़मेर | | (1) बुलाराम पुत्र टीकूराम जाति–कुम्हार,<br>निवासी–धतरवालों का सरा, छीतर का<br>पार, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– दिनांक 7/01/2020

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा धतरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 426/34 रकबा 44.17 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज टीकूराम के वंशज है तथा प्रतिवादी वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested

.स्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा टीकूराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण टीकूराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा धतरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 426/34 रकबा 44.17 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 2.1.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested

# अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

**वादीगण** **बनाम** **प्रतिवादी**

1. नेनाराम पुत्र बुलाराम
2. बांकाराम पुत्र बुलाराम
3. शोभाराम पुत्र बुलाराम
4. सांगाराम पुत्र बुलाराम
   जातियान्–कुम्हार,
   निवासीयान्–धतरवालों का सरा,
   छीतर का पार, तहसील–बायतु,
   जिला–बाड़मेर

बुलाराम पुत्र टीकूराम जाति–कुम्हार,
निवासी–धतरवालों का सरा, छीतर का
पार, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

**दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

राजस्व वाद संख्या–204/19. **निर्णय दिनांक :–** 31/12/2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ..... को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा धतरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 426/34 रकबा 44.17 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 31/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
**सहायक कलक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी, बायतु**

**वाद के खर्चे**

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested